



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 42] नई दिल्ली, अक्टूबर 9—अक्टूबर 15, 2011, शनिवार/आश्विन 17—आश्विन 23, 1933
No. 42] NEW DELHI, OCTOBER 9—OCTOBER 15, 2011, SATURDAY/ASVINA 17—ASVINA 23, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2011

सा.का.नि. 280.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, सहायक महारजिस्ट्रार (जनअध्ययन) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2008 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में सहायक महारजिस्ट्रार (जनअध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, सहायक महारजिस्ट्रार (जनअध्ययन) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका पे बैंड तथा ग्रेड पे वा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

